न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 29/2015 ::

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
जमनादेवी पुत्री बस्ताराम पत्नी बुधाराम जाति बावरी, निवासी बावरियों का बास, वार्ड नम्बर 3 खारडा, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		1. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार रोहट जिला पाली 2. सुरकी बेवा बस्ताराम जाति बावरी निवासी बावरियों का बास, नाडा के पास, दानासनी तहसील व जिला पाली (राज.) 3 मृतक ओडकी पुत्री बस्ताराम पत्नी कानाराम के कायम मुकाम 3/1. जेठाराम पुत्र कानाराम निवासी खारडा 3/2. कन्या उर्फ कनकी पुत्री कानाराम पत्नी नारायणजी जाति बावरी निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली (राज.) 4 चोथकी पुत्री बस्ताराम पत्नी मांगीलाल निवासी चोटीला तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 5 रामचन्द्र उर्फ रमेश पुत्र करांराम उर्फ बस्ताराम बावरी निवासी बावरियों का बास, नाडा के पास, दानासनी तहसील व जिला पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से श्री गोपाल चौहान

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3/1, 3/2, 4 व 5 की ओर से श्री दौलत मलवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 21-1-19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 769 दिनांक 06.12.2001 मौजा सिणगारी पटवार हल्का सिणगारी जो तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया है, उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता बस्ताराम के ग्राम सिणगारी पटवार हल्का सिणगारी तहसील रोहट में खसरा नम्बर 219 व 220 रकबा 15–15 बीघा कुल रकबा 30 बीघा किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी भूमि स्थित थी। बस्ताराम का निधन निंवसीयती हो गया था। बस्ताराम ने प्रथम विवाह मथरादेवी से किया जिनसे उनके तीन पुत्रियां हुई, जिनमें अपीलांण्ट जमनादेवी, रेस्पोडेण्ट संख्या 4 चौथकी व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 मृत ओडकी हैं। मृत ओड़की के एक पुत्र जेठा व एक पुत्री कन्या है। बस्ताराम ने द्वितीय विवाह सुरकी से किया, जिससे बस्ताराम को सन्तान की प्राप्ती नहीं हुई। बस्ताराम की मृत्यु पश्चात उपरोक्त आराजी का नामान्तरकरण उनके हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उनकी प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारियों जिनमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 के बहिस्सा बराबर उनके नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन बस्ताराम के मृत्यु के पश्चात उनकी द्वितीय पत्नी सुरकी एवं बस्ताराम के भाई केराराम के पुत्र रामचन्द्र ने

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

राजस्व कार्मिकों से मिलकर उपरोक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 769 दिनांक 06.12.2001 को सुरकी, मथरा एवं रामचन्द्र के नाम दर्ज करवा दिया। राजस्व कार्मिकों ने बस्ताराम की मृत्यु पश्चात उनके विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर भारी विधिक भूल की है। जैर अपील आराजी का नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी द्वारा न तो कोई जांच की गई, न ही कोई सुनवाई की गई, न ही बस्ताराम के विधिक वारिशानों को सुनवाई का मौका दिया गया, राजस्व कार्मिकों द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर भारी विधिक भूल की है। अपीलाण्ट जमनादेवी दिनांक 01.10.2015 को अपनी कृषि भूमि पर गई, तो रामचन्द्र उर्फ रमेश ने उसको उक्त आराजी को अपनी बताते हुए वहां से उसे हटने की धमकी दी, तब उसने तहसील कार्यालय से उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड निकाला तो उसे जैर अपील नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी हुई, तब उसने अधिवक्ता से मिलकर अपील 19.10.2015 को न्यायालय में पेश की गई। उक्त अपील अपीलाण्ट के हक अधिकारों से संबंधित होने से तथा अपीलाण्ट एक विधवा, अनपढ व ग्रामीण महिला होने से यह अपील जानकारी होते ही प्रस्तुत कर दी है। इसलिए जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करावे। जिससे अपीलाण्ट अपने हक अधिकार प्राप्त कर सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील आराजी मृतक बस्ताराम पुत्र मगाराम की खातेदारी भूमि थी। जिन्होनें दो विवाह किए थे, प्रथम मथरा से विवाह किया था। जिनसे उनको तीन पुत्रियों की प्राप्ती हुई जो अपीलाण्ट जमनादेवी, रेस्पोडेण्ट ओड़की व चौथकी हैं। पुत्र की प्राप्ती नहीं होने पर उन्होनें अपने जीवनकाल में अपने भाई केराराम के पुत्र रामचन्द्र उर्फ रमेश को दिनांक 20.11.1988 को जातिगत रिती रिवाज तथा जातिय पंचों व अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 के समक्ष उनकी सहमती से गोद लिया, तबसे ही रामचन्द्र बस्ताराम के साथ रह रहा था व उनकी मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी सुरकी के साथ रह रहा है तथा जैर अपील आराजी पर उसका ही कब्जा–काश्त कर रहा है तथा वह ही उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। अपीलाण्ट जमानादेवी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी थी तथा उन्हें इस संबंध में कभी कोई आपत्ती भी नहीं थी, लेकिन अब जमीनों के भावों में वृद्धि हो जाने के कारण उनकी नियत में खोट आ गई है तथा उसने यह अपील रेस्पोडेण्टगण को परेशान करने की नियत से पेश की है। जैर अपील नामान्तरकरण के संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 3/1, 3/2 जो अपीलाण्ट की बहन के वारिशान है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 जो की अपीलाण्ट की बहन है, उनको भी इस संबंध में कोई आपत्ती नहीं है। अपीलाण्ट इस अपील के जरीये गोदनामे द्वारा भरे गए नामान्तरकरण को चुनौती देना चाहती है, जो विधी सम्मत व नेक नियति नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्हें सक्षम न्यायालय में दी गई विधिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस अपील के जरिये गोदनामे को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी इसके भरे जाने के समय से ही थी, लेकिन उसने अपील न्यायालय में नामान्तरकरण के भरे जाने के लगभग 15 वर्षो पश्चात पेश की है तथा अपीलाण्ट ने अपील को अन्दर म्याद पेश करने बाबत कोई तर्कसंगत साक्ष्य पेश नहीं किया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें। अपने तथ्यों की ताईद में अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए है यथा 2003(1) R.R.T. Page 650 (Raj H.C.), 1989 R.R.D. Page 572, 2002(4) W.L.C. (Raj.) Page 98 , 2010 D.N.J.(SC) Page 294 & 2013(1) R.R.T. Page 125 ।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं मातहत अदालत द्वारा प्रेषित मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त R.R.T. 2003(1) page 650(Raj. H.C.), R.R.D. 1989 page 572 and W.L.C. (Raj.) page 98 हक अधिकारों से संबंधित होने से इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है, अन्य दृष्टान्त म्याद से संबंधित होने से इस प्रकरण में चस्पा होते है। जिनकी पालना में म्याद के बिन्दु को इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि अपीलाण्ट जमनादेवी स्व. बस्तारान की पुत्री थी। यह एक स्वीकार्य तथ्य है। जैर अपील नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित हुए है। प्रश्नगत अपील में अपीलाण्ट के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। जैर अपील आराज़ी स्व. बस्ताराम पुत्र मगाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि थी। बस्ताराम ने प्रथम विवाह मथरादेवी से किया था, जिनसे उन्हें तीन पुत्रियों की प्राप्ती हुई जो अपीलाण्ट जमनादेवी, रेस्पोडेण्ट सं. 3 ओड़की एवं रेस्पो. सं. 4 चौथकी है। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत प्रत्युतर के पैरा संख्या 4 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि बस्ताराम पुत्र मगाराम बावरी निवासी दानासनी ने अपने जीवनकाल में प्रथम विवाह मथरादेवी से किया था। जिससे स्व. बस्ताराम के तीन पुत्रियां क्रमशः चौथकी, ओड़की एवं जमना हुई थी तथा मथरादेवी के स्वर्गवास के बाद बस्ताराम ने रेस्पोडेण्ट सं. 2 पुरकीदेवी उर्फ सुरकीदेवी के साथ सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार नाता विवाह किया, तब से वह उसकी पत्नी के रूप में जीवनकाल में साथ रही एवं आज भी जिवित है। जब दूसरी पत्नी सुरकी के भी कोई संतान नहीं हुई तो बस्तारामजी ने अपने जीते जी समाज के पंचो के सामने रामचन्द्र उर्फ रमेश को गोद लिया था तथा सुरकी आज भी उसके साथ रह रही है। ऐसी स्थिति में बस्ताराम की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिशान मथरादेवी की तीनों पुत्रियां, उसकी पत्नी सुरकी एवं गोदनामे को माना भी जाए तो रामचन्द्र उर्फ रमेश रहे। जैर अपील नामान्तरकरण एक फौतेदगी नामान्तरकरण है, जिससे बस्ताराम के सभी जिवित विधिक वारिशान का इन्द्राज बाद जांच व सुनवाई के किया जाना चाहिए था, लेकिन तहसीलदार रोहट के द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण सुरकी बेवा बस्ताराम, मथरादेवी बेवा बस्ताराम तथा रामचन्द्र पुत्र बस्ताराम इन्द्राज कर स्वीकृत किया गया है। मथरादेवी का देहान्त जब सुरकी से दूसरा विवाह करने से पूर्व ही हो चूका था, तो स्व. मथरा बेवा बस्ताराम का नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज किए जाना विधी सम्मत नहीं होने से नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। तहसीलदार रोहट को बस्तीराम की दोनों पत्नीयों से प्राप्त संताने उसकी विधिक वारिशान होने से बाद जांच व सुनवाई के नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा ऐसा नहीं करने से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित हुए है, जो किसी भी प्रकार से विधी सम्मत नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि तहसीलदार रोहट द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय स्व. बस्तीराम के विधिक वारिशानों की न तो जांच की गई, न ही उनको सुनवाई हेतु अवसर दिया गया एवं नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 769 दिनांक 06.12.2001 मौजा सिणगारी पटवार हल्का सिणगारी को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार रोहट को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. बस्ताराम पुत्र मगाराम के समस्त विधिक

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

उत्तराधिकारियों की बाद जांच एवं सुनवाई के विधिसम्मत तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत की कार्यवाही करें। तहसीलदार रोहट को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 769 दिनांक 06.12.2001 पालनार्थ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 21-1-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली